(304

पत्रांक 47 /पी0पी0ओ0
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक(वितन्तु),
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
बिहार , पटना ।

पटना, दिनांक- 25/5/2016

विषय:- निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-01/2016-17 के प्रकाशन के संबंध में।

....

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-01/2016-17 की पाँच प्रतियाँ (सी0डी0 सहित) संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे राज्य एवं राज्य से बाहर के प्रमुख समाचार पत्रों में (अँग्रेजी एवं हिन्दी) के अगले दो संस्करणों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाये। यह भी अनुरोध है कि भेजे गये निविदा सूचना को PRD के Website पर भी upload किया जाये।

इस निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन किन-किन समाचार पत्रों में किया गया इसकी सूचना देने की कृपा की जाये।

अनुलग्नक:- यथोपरि ।

विश्वासभाजन,

25/5/16

(कृष्ण मुरारी सिन्हा),
पुलिस अधीक्षक(वितन्तु),
बिहार,पटना ।

प्रतिलिपि:- 1/ आई0टी0 मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया। कृपया इसे आज ही वेबसाईट पर अपलोड किया जाये। साथ ही Indian Trade Journal] Kolkata के अंक में प्रकाशन हेतु Government of India, the Controller of Publication, Civil Lines, Delhi-110054 (Tel. No. 011-23812527, Fax No.011-23817846, Email ID-sk.mondal.dgeis@ nic.in) के पते पर भी अनिवार्य रूप से भेजा जाये।

25/5/16

पुलिस अधीक्षक(वितन्तु),
बिहार,पटना ।

पुलिस अधीक्षक (वितन्तु)
बिहार, पटना

बिहार पुलिस रेडियो, मुख्यालय, बेली रोड, पटना

निविदा सूचना संख्या- 01/2016-17

1.	विभाग का नामः-	पुलिस महानिदेशक का कार्यालय,बिहार, पटना।
2.	विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पताः-	पुलिस अधीक्षक(वितन्तु), बिहार, पटना। बिहार पुलिस रेडियो,मुख्यालय, राजवंशी नगर, बेली रोड,पटना।
3.	निविदा समर्पित करने की तिथि एवं समयः-	निविदा प्रकाशित होने की तिथि से किसी कार्य दिवस में दिनांक- 21.06.2016 के 1500 बजे तक।
4.	निविदा प्राप्ति का स्थानः-	विज्ञापनदाता का कार्यालय, बिहार पुलिस रेडियो मुख्यालय, राजबंशी नगर, पटना-800023
5.	निविदा खोलने की तिथिः-	दिनांक- 21.06.2016 को 1600 बजे।
6.	अनुमानित राशि :-	रू0 25,00,000/-(रूपये पच्चीस लाख) से उपर।
7.	मद का नामः-	(1) बिहार राज्य के निम्नलिखित जिलों में 100 फीट सेल्फ सपोर्टेड टावर आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य। (क) पटना-ट्राफिक थाना। (ख) गया-नीमचक बथानी, इमामगंज, टिकारी, कोठी एवं गुरूआ थाना। (ग) जमुई- चकाई, सोनो, लक्ष्मीपुर एवं झाझा थाना तथा भी0एच0एफ0(कन्ट्रोल) जमुई। (घ) रोहतास-नवहट्टा थाना एवं दावत थाना। (ड.) मुंगेर- संग्रामपुर थाना, पुलिस अधीक्षक, आवास, मुंगेर। (2) (क) 120 फीट सेल्फ सपोर्टेड टावर की डेन्टिंग एवं रंगाई का कार्य। (ख) 100 फीट सेल्फ सपोर्टेड टावर की डेन्टिंग एवं रंगाई का कार्य। (3) (क) 120 फीट सेल्फ सपोर्टेड टावर को वर्तमान कार्य स्थल से डिसमेंटल कर अन्यत्र पुर्नस्थापना का कार्य। (ख) 100 फीट सेल्फ सपोर्टेड टावर को वर्तमान कार्य स्थल से डिसमेंटल कर अन्यत्र पुनर्स्थापना का कार्य। (4) (क) 60 फीट ट्रैंगूलर लैटिस मास्ट पुल्ली के साथ आपूर्ति एवं स्थापना। (ख) 60 फीट ट्रैंगुलर लैटिस मास्ट का डिसमेंटलिंग कर दूसरे स्थान पर पुल्ली के साथ पुर्नस्थापना का कार्य।

कम संख्या-2 से कम संख्या-4 के मदों का दर एवं फर्म निर्धारण आमंत्रित निविदाओं के आधार पर करने के उपरान्त उक्त दर एवं फर्म से भविष्य में आवश्यकतानुसार कार्य कराया जा सकेगा।

टावर/मास्ट की आपूर्ति एवं स्थापना, शिफ्टिंग, रंगाई, डेन्टिंग आदि कार्य के लिए तकनीकी विशेषताएँ बिहार पुलिस रेडियो संगठन, राजवंशी नगर, पी0पी0ओ0 कार्यालय से निविदा समर्पित करने से 2 (दो) दिन पूर्व किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किया जा सकेगा।

निविदा के नियम एवं शर्त

(1) इस मद में निविदाएँ सिर्फ बिहार मे स्थित इकाईयों / आपूर्तिकर्ता / विक्रेता या राज्य के बाहर उत्पादनरत् इकाईयों के स्थानीय कारपोरेट कार्यालय/स्थानीय कार्यालय/एजेण्ट / प्राधिकृत डीलर /विक्रेता /आपूर्तिकर्ता के द्वारा ही दी जायेगी लेकिन सफल निविदाकर्ताओं को कार्यादेश देने के

पहले बिहार वाणिज्य कर में निबंधन का प्रमाण पत्र देना होगा। निविदाकर्ताओं को टावर, मास्ट के आपूर्ति , स्थापना, सिफ्टिंग, पुनर्स्थापना एवं उसके फैवरीकेशन के लिए राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के द्वारा अधिकृत होना चाहिये।

(2) निविदाकर्ता को बिहार वित्त नियमावली के नियम-131ञ के आलोक में दो बोली प्रणाली के तहत दो भागों में निविदा निम्नरूपेण देना होगा।

(क) तकनीकी बोली जिसमें निम्न वर्णित वाणिज्यिक शर्तो एवं प्रतिबंधों के साथ सभी तकनीकी ब्यौरा शामिल रहेगा।

(ख) वित्तीय बोली, जिसमें तकनीकी बोली में शामिल की गयी इकाईयों को इकाईवार अलग-अलग मूल्य दर्शाया जायेगा।

(3) निविदा के तकनीकी बोली में निम्नलिखित अभिलेख संलग्न होने चाहिये:- (i) बिहार बिक्री कर निबंधन प्रमाण पत्र (ii) अद्यतन आयकर चुकता प्रमाण पत्र (iii) पैन की छाया प्रति (iv) चार्टेड एकाउटेंट द्वारा तैयार किया गया निविदाकर्ता के फर्म का वार्षिक ऑडिट टर्न ओभर की छाया प्रति एवं (vi) टावर / मास्ट की आपूर्ति / फैवरीकेशन आदि के लिए राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत होने के प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है। निविदा के इस भाग में फर्म द्वारा प्रस्तावित मदों की तकनीकी विवरणी, वाणिज्यिक शर्तो एवं प्रतिबंधों इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख करेंगें। दरों की वैधता 31 मार्च 2017 तक होगी। प्रत्येक निविदित मद के लिए दी जानेवाली गारण्टी अवधि का भी उल्लेख निश्चित रूप से होना चाहिए। निविदाकर्ता यदि निविदा के कमांक-7 मद के नाम में दर्शाये गये कमांक-1 के लिए निविदा देता है तब ऐसी परिस्थिति में फर्म द्वारा निविदा में अंकित प्रति अदद मूल्य के आधार पर कुल कार्य अर्थात् 15 स्थानों पर टावर आपूर्ति एवं स्थापना कार्य का कुल मूल्य का दोगुना वार्षिक टर्न ओभर होना चाहिए।

(4) वित्तीय बोली में तकनीकी बोली में शामिल की गई मद का इकाईवार मूल्य निम्नलिखित ढंग से अंकित होगा - (क) प्रस्तावित कार्य का मूल्य प्रति इकाई (ख) देय कर (ग) दर एवं वैट सहित नेट मूल्य अंकों एवं शब्दों में साफ-साफ अंकित करना होगा।

(5) तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली अलग-अलग लिफाफों में सीलबंद होनी चाहिए एवं उनपर तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली अंकित होनी चाहिए। दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफा में डालकर एवं सीलबंद कर इसपर निविदा एवं प्रकाशित निविदा सूचना की निविदा संख्या अंकित रहेगी। बाहरी बड़े लिफाफे जिसमें निविदा के तकनीकी एवं वित्तीय भागों को सीलबंद निविदायें बन्द रहेगी उसपर निविदाकर्ता अपना फर्म का नाम अंकित नहीं करेंगें। सीलबंद लिफाफा को उपरोक्त तिथि एवं समय तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।

(6) दरों में किसी प्रकार का कटिंग/ओभर राइटिंग अथवा संशोधन पाये जाने पर अथवा उपर्युक्त किसी भी वांछित सूचना एवं अभिलेखों को शर्तो के अनुसार वित्तीय बोली एवं तकनीकी बोली में उपलब्ध नहीं कराये जाने पर निविदा बिना विचार किये तत्क्षण रद्द कर दिये जायेगें। तकनीकी बोली में समर्पित अभिलेखों के आधार पर वैध पाये जाने वाले निविदाकर्ताओं की ही वित्तीय बोली खोली जायेगी और इस संबंध में विज्ञापनदाता का निर्णय ही सभी फर्मो के लिए बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(7) निविदाकर्ताओं को उपरोक्त कार्य स्वंय करने होंगे इसके लिए अलग से कोई अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा। सामानों को चढ़ाने-उतारने या साईट पर ले जाने वाले खर्च का वहन भी निविदाकर्ता को स्वयं करना होगा।

(8) विपत्रों की भुगतान की कार्रवाई मद निरीक्षण समिति द्वारा स्वीकार करने के बाद ही प्रारम्भ की जायेगी।

पुलिस अधीक्षक(वितन्तु) बिहार, पटना को यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना कारण बताये एक या एक से अधिक या सभी निविदाओं को आंशिक या पूर्णरूप से अस्वीकृत कर दें।

उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले निविदाताओं का निविदा बिना विचार किये तत्क्षण रद्द कर दिया जायेगा।

25/5/16

पुलिस अधीक्षक(वितन्तु),
बिहार, पटना।

पुलिस अधीक्षक (बितन्तु)
बिहार, पटना